

Notice / सूचना – B

IMPORTANT NOTICE ON APPLICABILITY OF GST*

जीएसटी लागू होने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना*

1. This is to inform you that Goods and Services Tax Law (GST) is applicable w.e.f. 1st July 2017.
2. The rate of GST has been fixed as 18% on taxable services provided by Banking and Financial institutions. Accordingly, w.e.f. 1st July 2017 AU Bank shall charge GST @18% from its customers for rendering taxable banking services.
3. Customer can take benefit of Input tax credit of the taxes levied on charges by providing GST registration number to AU Bank. Registration number can be provided to AU bank by contacting to nearest branch. Post successful updation of GST number, customer can claim input tax credit against the charges levied by bank.
4. Customer would be responsible for providing correct and timely information about GST number including registered address to AU Bank. AU Bank shall not be responsible for any loss of input tax credit to the Customer.
5. Invoice would be sent periodically to Customer on their registered email address updated with bank or can be obtained from respective branch office. Accordingly, it is requested to kindly get update the correct email-id with bank along with the GST registration details.

Please note that customer shall not be able to avail input tax credit of GST levied, if GST registration number is not provided to the AU bank before levying any charges.

*All the above information is subject to change without prior notice by bank. This document is only for the purpose of guidance, please contact your branch representative for any clarification or exact implication in your account.

1. यह सूचित किया जाता है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून 1 जुलाई 2017 से लागू है।
2. बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवाओं पर GST की दर 18% निर्धारित है। अतः 1 जुलाई 2017 से AU बैंक अपने ग्राहकों से कर योग्य बैंकिंग सेवाओं के लिए 18% GST लागू करता है।

3. ग्राहक, AU बैंक को अपना GST पंजीकरण संख्या प्रदान कर, बैंक द्वारा लगाए गए शुल्कों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं। यह पंजीकरण संख्या निकटतम शाखा से संपर्क करके बैंक को प्रदान की जा सकती है। GST नंबर के सफल अद्यतन के पश्चात, ग्राहक बैंक द्वारा लगाए गए शुल्कों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।
4. ग्राहक AU बैंक को अपने GST नंबर तथा पंजीकृत पते से संबंधित सही एवं समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट के किसी भी नुकसान के लिए AU बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
5. चालान (Invoice) समय-समय पर ग्राहक के बैंक में पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा या संबंधित शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। अतः अनुरोध है कि कृपया अपना सही ईमेल आईडी एवं GST पंजीकरण विवरण बैंक में उपलब्ध कराएं।

कृपया ध्यान दें: यदि ग्राहक AU बैंक को शुल्क लागू होने से पहले अपना GST पंजीकरण संख्या उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो वे लगाए गए GST पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

* उपरोक्त सभी जानकारी बैंक द्वारा बिना पूर्व सूचना के बदली जा सकती है। यह दस्तावेज केवल मार्गदर्शन हेतु है। किसी भी स्पष्टीकरण या आपके खाते पर सटीक प्रभाव जानने के लिए कृपया अपनी शाखा प्रतिनिधि से संपर्क करें।

SMOKING PROHIBITED / धूम्रपान निषेध है

The Government of India has under the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act – 2003 notified revised rules on the Prohibition of Smoking in Public Places. These rules have come into effect from October 2, 2008. As per the revised rules, smoking is banned in both public and private workplaces. All employees & Customers are requested to take note of the rules and refrain from smoking in Bank Premises.

भारत सरकार ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के संशोधित नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 02 अक्टूबर 2008 से प्रभावी हैं। संशोधित नियमों के अनुसार, सार्वजनिक एवं निजी कार्यस्थलों पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है। अतः सभी कर्मचारियों एवं ग्राहकों से अनुरोध है कि वे इन नियमों का पालन करें तथा बैंक परिसर में धूम्रपान न करें।

MAGNIFYING GLASS IS AVAILABLE AT THE BRANCH FOR THE VISUALLY IMPAIRED

दृष्टि-बाधित लोगों के लिए शाखा में आवर्धक लेंस उपलब्ध है।

Magnifying glass is available for the use of customer on request. Please contact Branch Manager / Asst. Branch Manager in case of requirement.

आवश्यकता होने पर ग्राहकों के उपयोग के लिए मैग्निफाइंग ग्लास उपलब्ध है। कृपया आवश्यकता होने पर शाखा प्रबंधक / सहायक शाखा प्रबंधक से संपर्क करें।

BUSINESS CONTINUITY AND BRANCH EVACUATION

PLAN IN CASE OF EMERGENCY

आपातकालीन स्थिति में कामकाज जारी रखने और शाखा खाली करने की योजना

Being our privileged customer, your safety is paramount at AU Bank premises/ हमारे सम्मानित ग्राहक के रूप में, AU बैंक परिसर में आपकी सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है

In case of following emergencies/ निम्नलिखित आपात स्थितियों में:

- Natural calamities like Earthquake, Flood, Cyclonic storm, etc/ भूकंप, बाढ़, चक्रवाती तूफान आदि प्राकृतिक आपदाएँ
- Fire / आग
- Robbery/ डकैती / लूटपाट
- Mob/ भीड़

In case hooter / fire alarms are activated/हूटर / फायर अलार्म बजने की स्थिति में.

Customers are requested to/ ग्राहकों से अनुरोध है कि

- In case of natural calamities and fire, don't panic, proceed to the nearest exit and evacuate the premises in an orderly manner/ प्राकृतिक आपदा या आग लगने की स्थिति में घबराएं नहीं, निकटतम निकास द्वार से व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलें।
- Use staircase, don't use elevator/ सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग न करें।
- Walk along the LEFT side of staircase and leave the RIGHT side for rescue team/ सीढ़ियों के बाईं ओर चलें तथा दाईं ओर बचाव दल के लिए स्थान खाली रखें।
- Give preference to physically challenged, children, expectant mothers and elderly/ दिव्यांग व्यक्तियों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दें।
- If your clothes catch fire, do not panic and run, drop and roll to extinguish the fire/यदि कपड़ों में आग लग जाए, तो घबराएं नहीं; रुकें, नीचे गिरें और लुढ़ककर आग बुझाएं।
- Branches are equipped with fire extinguisher, use fire extinguisher on the source of fire/ शाखा में फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध हैं — आग के स्रोत पर इसका उपयोग करें।
- In case of robbery do not attempt to overpower the robbers and follow their instructions. just note description of robbers to assist police during investigation / डकैती की स्थिति में लुटेरों का विरोध या उन्हें काबू करने का प्रयास न करें और उनके निर्देशों का पालन करें। केवल लुटेरों का विवरण नोट करें ताकि जांच के दौरान पुलिस की सहायता की जा सके।
- In case of Mob do not indulge in verbal violence or fisticuffs / भीड़ की स्थिति में किसी भी प्रकार की मौखिक या शारीरिक झड़प(हाथापाई) में शामिल न हों।
- If hooter or fire alarm is activated kindly evacuate premises/ सायरन या फायर अलार्म बजने पर, कृपया तुरंत परिसर को खाली करें।
- After evacuation kindly assist us by calling fire brigade / police / ambulance/ परिसर खाली करने के बाद कृपया फायर ब्रिगेड / पुलिस / एम्बुलेंस को कॉल करने में सहयोग करें।
- If it is false Alarm or branch declare safe, you can enter the branch and continue your transactions/ यदि यह फॉल्स अलार्म हो या शाखा को सुरक्षित घोषित किया जाए, तो आप शाखा में प्रवेश कर अपने लेन-देन जारी रख सकते हैं।
- If branch is not open for transaction, kindly contact BM/ABM to assist you by providing address of nearby branches/ यदि शाखा में लेन-देन उपलब्ध न हो, तो कृपया बीएम/एबीएम से संपर्क कर निकटतम शाखा का पता प्राप्त करें।